TEN RUPEES FIVE RUPEES

47

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

प्रकरण क्र. / 2005 निगरानी 2147-I/05

रतीराम पुत्र गोपी धोवी निवासी

ग्राम फूलपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.

विरूद्ध

1. अन्तू पुत्र मूंगा।
2. विमला पति नवलसिह
3. पुनिया वेवा गोपी
4. सिया पुत्री गोपी
5. नवलसिह पुत्र गोपी
6. लक्ष्मी पुत्री गोपी , समस्त निवासीगण ग्राम फूलपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.
7. ग्राम पंचायत फूलपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी

19 DEC 2005

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 959 विरूद्ध आदेश प्रकरण क्र.640 / 04–05 / अपील दिनांक 12.09.05 पारित द्वारा न्यायालय अपर युक्त ग्वालियर सह विवाद आदेश प्रकरण क्र.1 / 02–03 / अपील पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागी अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी म.प्र आदेश दिनांक 28.08.03

महोदय,

जानिव आवेदकगण निगरानी निम्न प्रस्तुत है।

तथ्य–

यहकि ग्राम फूलपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी में स्थित विवादित भूमि के विषय में यह निगरानी सह-भूमि-स्वामी आवेदक की ओर से उसे सूचना दिये तथा पक्षकार बनाये बिना पारित किये गये नामान्तरण ठहराव प्रस्ताव क्र. 05 दिनांक 26.04.2000 के विरूद्ध की गई अपीलो को परिसीमा बाहर मानकर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2147–एक/2005 जिला– शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–7–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्र0 640/02–03/अपील में पारित आदेश दिनांक 12.09.05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार नरवर, जिला–शिवपुरी में स्थित विवादित भूमि ग्राम पंचायत फूलपुर के द्वारा प्रस्ताव क्र0 5 दिनांक 26.04.2000 के द्वारा आलोच्य भूमि पर क्रेता अनावेदक क्र0 2 विमलाबाई के हित में नामांतरण आदेश दिये गये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक रतीराम के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी परगना, करैरा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी परगना, करैरा के न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा आदेश दिनांक 28.08.2003 को अपील अवधि बाह्य मानकर अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी परगना, करैरा के आदेश दिनांक 28.08.2003 के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 640/2002–03/अपील माल पर दर्ज होकर, आदेश दिनांक 12.09.2005 को अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त ग्वालियर के उक्त आदेश दिनांक 12.09.05 से परिवेदित होकर	

आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें योग्य अपीली न्यायालयों ने निगरानीग्रस्त आदेशों के निष्कर्ष, अभिलेख के विपरीत के है । आवेदक सह भूमि–स्वामी को अपील का अधिकारी नहीं माना है । संहिता की धारा 41 के अधीन निर्मित नियम 6, 7, 8 के आज्ञापक उपबंधों के उल्लघंन को विचारण में नहीं लिया है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया है कि आज्ञापकों नियमों तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के अपालन से उत्तपन्न हुयें अधिकारिता दोष से ग्रस्त नामांतरण के ठहराव प्रस्ताव के विरूद्ध की गई अपीलों को समय–सीमा के तकनीकी आधार पर निरस्त किया है, जबकि अपील अन्तर्गत धारा 12 परिसीमा अधिनियम जानकारी दिनांक से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई थी, परिणामिब रूप से धारा 12 परिसीमा अधिनियम के अधीन म्याद अन्तर्गत अपील को म्याद बाहर माना है । धारा 5 परिसीमा के अधिनियम में के आवेदन को प्रकरण के तथ्यों से परे जाकर बंधनकारी मानने में भूल की है । अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण वर्ष 2005 से अर्थात लगभग 11 वर्ष से लंबित है। इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के

अभिलेख प्राप्त हो गये हैं, परन्तु विचारण न्यायालय तहसीलदार नरवर, जिला–शिवपुरी का अभिलेख अप्राप्त है। विचारण न्यायालय के अभिलेख मंगाने हेतु कई बार पत्र जारी किये गये। किन्तु प्रकरण उपलब्ध नहीं हो पाये है। चूंकि यह प्रकरण तहसीलदार के अभिलेख के अभाव में लंबित रखा गया, किन्तु अब प्रकरण लंबित रखना उचित नहीं है क्योंकि तहसील न्यायालय 11 वर्ष बीत जाने के पश्चात अब और अधिक समय तक प्रकरण को लंबित रखना भी न्यायोचित नहीं है इसलिए प्रकरण का निराकरण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही किया जा रहा है।

6/ प्रकरण में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि तहसीलदार नरवर, जिला–शिवपुरी के ग्राम पंचालय के द्वारा जो नामांतरण का आदेश पारित किया गया था उसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी परगना, करैरा के समक्ष दिनांक 30.08.2002 को लगभग 2 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात प्रस्तुत की है। इस संबंध में आवेदक ने आलोच्य भूमि पर अधिपत्यधारी एवं कब्जाधारी बताते हुये अपील प्रस्तुत की है, किन्तु विलम्ब के बारे में कोई धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया । आवेदक वादग्रस्त भूमि पर अपना अधिकार बताता रहा है, किन्तु उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में उसे कोई हक अथवा अधिकार प्राप्त नहीं है । आवेदक ने विलंब के बारे में कोई ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय को नहीं बताया है । इसी कारण वश अनुविभागीय अधिकारी परगना, करैरा द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर

खारिज की गई ।

7/ न्यायालय के अंतनिर्हित शक्ति के अधीन भी समय वर्जित अपील नहीं सुनी जा सकती । इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.एन. 289 उच्च न्यायालय, अपील न्यायालय में ऐसी अपील में केवल समय वर्जित होने के आधार पर खारिज करने का आदेश दे सकता है, उसके गुणा–गुण पर निर्णय करने की अधिकारिता उसे प्राप्त नहीं है । 1967 जे.एल.जे.–एस.एन.–43 आदि परिपादित है । प्रकरण में यह स्पष्ट है कि आवेदक न तो वादग्रस्त भूमि में अपना हक रखता है और न ही उसने विलम्ब के बारे में कोई ठोस कारण उपलब्ध कराये है । अनुविभागीय अधिकारी परगना के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 28.08.2003 और अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 12.09.2005 से मैं सहमत हूँ ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी परगना के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 28.08.2003 और अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 12.09.2005 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । अभिलेख दाखि रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य